कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2101 / दिनांक, मसूरी 13 –12–2017।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग,
थत्यूड़, (टिहरी गढ़वाल)।

विषय :– **जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत मसराना--किमोई मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 8.00 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 5.3025 है0 वन भूमि का का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP /UK/ROAD/23731/2017, दिनांक 23–01–2017 एंव आपका पत्रांक–1668/21सी0 दिनांक 01–11–2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव दिनांक 30–11–2017 को इस कार्यालय में आनलाईन प्राप्त हुआ। प्राप्त आनलाईन प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से जॉच /परीक्षण करने पर कतिपय कमियां पायी गयी। जिनके निराकरण हेतु प्रस्ताव आनलाईन मय हार्ड प्रति के इस आशय से वापस की जा रही है कि आनलाईन प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण करते हुए संगत दस्तावेज की हार्ड प्रति प्रस्ताव में यथास्थान चस्पा की जाय तथा मूल प्रस्ताव की दो प्रतियां अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. प्रस्ताव में चस्पा विषय सूची में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रतिवेदन कमांक का उल्लेख नही है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में चस्पा प्रतिवेदन में प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक 0.42 है0 वन भूमि जो वन्यजीव विहार के अन्तर्गत है को हस्तान्तण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि प्रस्ताव के मुख पृष्ठ पर 5.3025है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव गठित है। कृपया प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संशोधित प्रतिवेदन प्रस्ताव में यथास्थान चस्पा की जाय।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र क भाग–1 में परियोजना का विवरण अंकित नही किया गया है।
3. प्रस्ताव में चस्पा छाया प्रतियों /प्रमाण–पत्रों एंव प्रस्ताव में चस्पा संलग्नको में जगह–2 पर कटिंग किये गये स्थान को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाय।
4. प्रस्ताव के मुख पृष्ठ की गणनानुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वाछित सिविल सायेम भूमि 1.1025है0 वांछित है जबकि प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 54 में संलग्न लैण्ड शैडूयल (सिविल सोयम भूमि) में 1.0125है0 का आंगणन किया गया है। कृपया तद्नुसार सिविल सोयम भूमि के लैण्ड शैडूयल को संशोधित किया जाय।
5. प्रस्तावित मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–8.00 किमी0) के निर्माण हेतु वांछित कुल 5.3025है0 वन भूमि के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग के प्रथम 600.00मी0 कुल 0.42है0 भाग मसूरी वन्यजीव विहार में प्रस्तावित होने के फलस्वरूप प्रकरण में वैज्ञानिक सी /उपनिदेशक(वन्यजीव) वन एंव पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 39.5.1 के अनुपालन में 4 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या –वांछित अभिलेख प्रस्ताव में चस्पा /आनलाईन अपलोड नही किये गये है। कृपया वांछित 04 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या आनलाईन करते हुए संगत दस्तावेजों की हार्ड प्रति प्रस्ताव में यथारथान चस्पा की जाय।
6. मोटर मार्ग के निर्माण हेतु डिजीटल 1:50000 पैमाने के मानचित्र में प्रस्तावित समरेखण में आरक्षित वन काण्डा कक्ष सं0–4, काण्डा कक्ष सं0–5, मगरा कक्ष सं0–7बी, कोटी किमोई ब्लाक–10 एंव कोटी किमोई ब्लाक–11 में प्रदर्शित किया गया है। जबकि स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव आरक्षित वन भूमि के लैण्ड शैड्यूल में मगरा कक्ष सं0 –6, काण्डा कक्ष सं0–4, काण्डा कक्ष सं0–5 एंव कोटी किमोई ब्लाक–11 दर्ज/अंकित है। कृपया डिजीटल मानचित्र के अनुसार आरक्षित वन भूमि के लैण्ड शैड्यूल को संशोधित किया जाय।

7. प्रस्तावित मार्ग हेतु वांछित वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण एंव समरेखण में आने वाले तथा वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की गणना का कार्य दि0 31-05-2009 (लगभग 8 साल पूर्व) में किये जाने का उल्लेख है। अतः प्रस्तावित समरेखण में आने वाले /प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना पुनः की जानी आवश्यक होगी। प्रस्तावित समरेखण में आने वाले /प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना एंव प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु डिजीटल मानचित्र में प्रदर्शित समरेखण में आने वाली वांछित वन भूमि की वैधानिक स्थिति, स्वामित्व आदि की जॉच /परीक्षण हेतु दि0 21 -12-2017 प्रातः 10.00 बजे की तिथि निर्धारित की जाती है। कृपया अपने अधीनस्थ सहायक अभियन्ता /अवर अभियन्ता को मय अभिलेखों के मौके पर भेजने का कष्ट करें ताकि वन विभाग द्वारा प्रस्तावित समरेखण में वर्तमान स्थिति के आधार पर वृक्षों की गणना एंव प्रस्तावित समरेखण में प्रभावित होनी वाली भूमियों की जॉच का कार्य किया जा सकें। सुलभ सन्दर्भ हेतु **वन क्षेत्राधिकारी, जौनपुर का मोबाइल न0 945830785 तथा वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी वन्यजीव विहार का मोबा0 न0 7466837168 है।**

8. आनलाईन प्रस्ताव के भाग -1 के Additinal information Details में Cost Benfit का मात्र एक प्रपत्र अपलोड किया गया है शेष प्रपत्रों को अपलोड नहीं किया गया है।

संलग्नः- उक्तानुसार (प्रस्ताव की दो प्रति मूल में)

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2101 / ( ) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
2. उप जिलाधिकारी, धनोल्टी, (टिहरी गढ़वाल)।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2101 / ( ) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि - 1. उप प्रभागीय वनाधिकारी(मसूरी) मसूरी वन प्रभाग को इस आश्य से प्रेषित कि कृपया विषयांकित प्रकरण में उक्तानुसार निर्धारित तिथि व समय पर स्थलीय संयुक्त जॉच कार्य में मौके पर उपस्थित रहने का कष्ट करें

2. वन क्षेत्राधिकारी, जौनपुर एंव मसूरी वन्यजीव विहार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी से सम्पर्क कर बिन्दु सं0 6 एंव 7 के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग के साथ उक्तानुसार निर्धारित तिथि व समय पर स्थलीय संयुक्त जॉच उपरान्त अपनी सुस्पष्ट रिर्पोट /वांछित आख्या आख्या उप प्रभागीय वनाधिकारी(मसूरी) के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही हेतु शीघ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. वन क्षेत्राधिकारी, जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयांकित मोटर मार्ग कें निर्माण हेतु वांछित 5.3025 है वन भूमि के दुगने 10.6050 है0 चयनित क्षेत्र का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित प्राक्कलन प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड़ देहरादून के आदेश सं0 596/3-5-2, दि0 19 अगस्त 2015 एंव इस कार्यालय की पत्र सं0 आर0 न0 1477 /3-5-2, दि0 27.08.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में वृक्षारोपण का 10 वर्षो तक रखरखाव का प्राक्कलन वसूली वर्ष 2017-18 तथा रोपण वर्ष 2020-21 हेतु (रू0 2,53,332 प्रति है0) दो लाख तिरपन हजार मात्र वर्तमान निर्धारित दर से तैयार कर तीन प्रतियों में उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से समुहर हस्ताक्षर के इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।